न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–भोपाल रिव्यू 3827-PBR/14

श्रीमती नताशा अरोरा पत्नी श्री अजय अरोरा, निवासी ई–1/44, अरेरा कॉलोनी, भोपाल कृषक ग्राम सेहतगंज तहसील व जिला रायसेन (म.प्र.)

–– आवेदिका

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा – सक्षम अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी रायसेन (म.प्र.)

–– अनावेदक

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 753-PBR/2010 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.02.2011 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनर्विलोकन 3827-पीबीआर/14 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-9-2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । मूल अपील प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदिका द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 753-पीबीआर/10 में पारित आदेश दिनांक 22-2-2011 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:- 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदिका की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात या साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	